



292

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर

सभाग ग्वालियर म0प्र0

निगरानी/2017 III/निगरानी/अशोकनगर/भूरा/2017/4026

प्रकरण क्रमांक

दिनांक 26.10.17 को
- महेश सिंह खांडार
महाराष्ट्र सरकार

6.10.17
50

दिनांक 6-11-17

महेश सिंह खांडार

मूलचंद पुत्र मुन्ना जाति -सैहरिया निवासी

ग्राम भर्लोली तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर (म0प्र0)

-निगरानीकर्ता

बनाम

अशोककुमार पुत्र गजेन्द्रसिंह जाति रघुवंशी निवासी

ग्राम भर्लोली तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0


- प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी

निगरानी अधीन धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959 के तहत

निगरानी विरुद्ध आदेश अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय
ईसागढ उनके प्र0क्र0 35अ12/2016८17सीमांकन आदेश दिनांक 5/7/17के विरुद्ध

दिनांक 6-11-17
महेश सिंह खांडार



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/4026 जिला-अशोकनगर
मूलचंद विरुद्ध अशोक कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.08.2019	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक ईसागढ़ जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 35अ12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा -54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30.09.2019 को कलेक्टर, अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p style="text-align: center;">(जे.के. जैन) सदस्य</p>	